सर्वोच्च प्राथमिकता

पत्र संख्या-आई0टी0-NIC S/W-(Digital_Sig.)-(2016-17) / 156 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)
दिनॉक // लखनऊ // मई, 26 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के पत्र संख्या-109 दिनॉक 12-05-2016 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक अधिकारी का DSC आवेदन पत्र नियत दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये त्रुटि रहित दिनॉक 13-05-2016 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय के आई0टी0-अनुभाग को उपलब्ध करा दिया जाय। पुन: दिनॉक 19-05-2016 को समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) को Whatsapp पर यह निर्देश दिये गये कि जिन अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट आवेदन पत्र अभी तक मुख्यालय पर प्राप्त नही हुये है अथवा त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुये है, उन्हें फार्म भरने हेतु दिनॉक 23-05-2016 (सोमवार) को वाणिज्य कर मुख्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें। यह अत्यन्त खेदजनक है कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मात्र 15 अधिकारियों द्वारा ही उपस्थित होकर अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट आवेदन पत्र पूर्ण कराये गये।

इस क्रम में अन्तिम रुप से निर्देशित किया जाता है कि आपके जोन के ऐसे समस्त अधिकारियों जिनके डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट आवेदन पत्र अभी तक मुख्यालय पर प्राप्त नही हुये हैं अथवा त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुये है, उन्हें फार्म भरने हेतु समस्त वांछित प्रपत्रों सहित दिनॉक **28-05-2016 (शनिवार)** को पूर्वान्ह 11.00 बजे वाणिज्य कर मुख्यालय के भूतल स्थित सभा कक्ष में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें, जिन अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट फार्म दिनॉक 28-05-2016 तक वाणिज्य कर मुख्यालय के आई0टी0-अनुभाग में सही / सम्पूर्ण रुप से भरे प्राप्त नही होगें उनके सम्बन्ध में यह मान लिया जायेगा कि वे फील्ड स्तर पर अपने कार्यो में रुचिवान नही है, अत: उन अधिकारियों का क्षेत्राधिकार अन्य अधिकारियों को देने का प्रस्ताव भी स्थापना राजपत्रित अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को दिनॉक 30-05-2016 को भेजना सुनिश्चित करें। अप्राप्त फार्मो से सम्बन्धित / त्रुटिपूर्ण प्राप्त फार्मो से सम्बन्धित सूचना एवं फार्म भरने की गाइडलाइन सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर के ई-मेल / विभागीय वेबसाइट पर पूर्व में ही उपलब्ध करायी जा चुकी है।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।